न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 33/18

GCMS NO 2018/00229

1. श्रीनारायण पुत्र भूरया जाति खारवाल निवासी रामसिहपुरा तहसील गंगापुर सिटी(मृतक)
1/1. भगवान सिह
1/2. शक्ति सिह
1/3. सुगर सिह
1/4. सवाई सिह पिसरान स्व0श्रीनारायण
1/5. कल्याण पत्नि स्व0श्रीनारायण
1/6. शांति पुत्री स्व0श्रीनारायण जातियान खारवाल निवासीयान रामसिहपुरा तहसील गंगापुर सिटी

अपीलांट

वनाम

1. धर्म सिह पुत्र भौरया
2. नर्वदा पत्नि भौरया
3. शांति देवी पत्नि धर्मसिह जातियान खारवाल निवासीयान रामसिहपुरा तहसील गंगापुर सिटी
4. सीता पुत्री भौरया पत्नि रमेश जाति खारवाल निवासी किशोरपुर तहसील लालसोट जिला दौसा
5. श्रीमती द्रोपती पुत्री भोरया पत्नि नाथू जाति खारवाल निवासी लाडपुरा तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर
6. बाढा पुत्री भौरया पत्नि स्व0कल्याण सिह जाति खारवाल निवासी गुढाचन्द्रजी तहसील नादौती जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 46/14 निर्णय दिनांक 14.2.18 न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री अरविन्द्र अग्रवाल
अभिभाषक रैस्पो0 श्री मोहम्मद इस्लाम

दिनांक 26.03.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 14.2.18 न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी पेश की है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:40:12 IST
Reason: SelfAttested

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं [illegible] स्थ न्यायालय में रेस्पो/सायलान ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा [illegible] का पेश किया कि ग्राम रामसिहपुरा मे स्थित हाल ख0न0 [illegible], 240 रकबा 0.24 [illegible] रकबा 0.15 है0 , 242 रकबा 0.12 है0, 316 रकबा 0.86 है0, 319 रकबा 0.08 है0, [illegible] रकबा 1.16

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

239 रकबा 0.10 हेक्टयर, 240 रकबा

है0 , 345 रकबा 0.96 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 3.67 है0 सायलान व गेरसायल संख्या 1 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। इस भूमि मे सायलान का 1/2 हिस्सा तथा गेरसायल संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है। उपरोक्त भूमि के साबिक ख0न0 141 रकबा 2 बीघा 18 विस्वा, 142 रकबा 8 विस्वा, 156 रकबा 7 बीघा 15 विस्वा, 152/169 रकबा 4 बीघा 5 विस्वा था। पहले यह भूमि सायलान के पिता भौरया तथा गेरसायल संख्या 1 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है। जिसमे सायलान के पिता का 1/2 हिस्सा तथा गेरसायल न0 1 का 1/2 हिस्सा था। उक्त वादग्रस्त आराजीयात के बावत गैरसायल संख्या 1 श्रीनारायण एवं भौरया के मध्य 145 सीआरपीसी के तहत मुकदमा न0 11/93 चला था। जिसमे दिनांक 7.6.94 को पक्षकारो के मध्य राजीनामा इस आशय का तस्दीक किया गया कि उपरोक्त भूमि सायल व गेरसायल अर्थात इस दावे के गैरसायल संख्या 1 तथा भौरया व सायलान की आधी आधी रहेगी। रिसीवर के पास जमा राशि भी दोनो पक्षो को आधी आधी रहेगी। कब्जे के बारे मे इसी प्रकार आधी आधी भूमि होने की घोषणा की जावे। इस राजीनामे के अनुसार उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा दिनांक 17.7.96 को निर्णय पारित कर उक्त भूमि को रिसीवरी से वागुजास्त कर दिया और इस तरह से कब्जा उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात पर आधा आधा रहा। दिनांक 7.6.94 को हुए राजीनामे वाद किसी प्रकार का विवाद सायलान व गैरसायल न0 1 के बीच नही हुआ है। सायलान कानून के जानकार नही होने से कारण राजीनामे के आधार पर 1/2 भूमि का खातेदार घोषित कराने की कार्यवाही नही की गई। इस कारण राजस्व रिकार्ड मे सायलान का नाम उक्त भूमि मे 1/2 हिस्से मे खातेदार के रूप मे अंकित नही हो सका। और अकेले गैरसायल सख्या 1 का नाम ही रहा इस स्थिति का अनुचित लाभ उठाते हुए एवं भूमि के बढते हुए दामो को देखकर गैरसायल संख्या 1 की नियत अब खराब हो गई। अब गैरसायल संख्या 2 से उक्त सम्पूर्ण भूमि पर रहन रखकर लोन ले लिया। सायल संख्या 1 को जब इस तथ्य की जानकारी हुई तो गैरसायल संख्या 1 के समक्ष दिनांक 20.4.11 को ऐतराज किया। एवं विधिवत बंटवारा कराने के लिए कहॉ तो गैरसायल संख्या 1 नाराज हो गया। एवं सायलान को धमकी दी गई कि वह सायलान को उसके हिस्से 1/2 की भूमि से कब्जे काश्त मे बाधा पैदा करेगा तथा उक्त भूमि से सायलान को बेदखल कर किसी दीगर व्यक्ति को हस्तान्तरित करेगा। इस प्रकार गैरसायल संख्या 1 अपने मुनसुबो मे यदि कामयाब हो गया तो सायलान जो कृषि भूमि पर ही आश्रित है बर्बाद हो जावेगा । विवादित आराजीयात पर सायल सन 1994 से पूर्व से ही काबिज काश्त है। सायलान का आराजीयात पर 12 साल से भी अधिक समय से खुले आम पूर्ण शांति पूर्वक कब्जा चला आ रहा है। इस तरफ एडवर्स पजेशन के आधार पर भी सायलान उक्त कृषि भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदार टीनेन्ट घोषित किये जाने के अधिकारी है। पूर्व की भॉति [illegible] से सायलान का ख0न0 344 रकबा 1.16 है0 के सम्पूर्ण रकबे पर तथा ख0न0 316 रकबा [illegible] है0 मे से आधा रोड की तरफ वाले हिस्से पर तथा ख0न0 239 रकबा 0.18 है0 के सम्पूर्ण रकबे के तथा ख0न0 240 रकबा 0.24 है0 के सम्पूर्ण रकबे पर कब्जा काश्त है। किन्तु मीटस एण्ड बाउन्डस से पक्षकारो के मध्य बंटवारा नही हुआ है। ऐसी दशा मे सायलान उक्त वादग्रस्त आराजीयात के 1/2

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:40:12 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

हिस्से का खातेदार टीनेन्ट घोषित कर कब्जा अनुसार मीटस एण्ड बाउन्डस से विभाजन करना न्यायोचित व आवश्यक है। सायलान का प्राईमाफेसी केस पूर्णतया साबित है। इस प्रकार गैरसायलान को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि भूमि ख0न0 239 रकबा 0.10 है0 , 240 रकवा 0.24 है0, 241 रकवा 0.15 है0 , 242 रकवा 0.12 है0, 316 रकबा 0.86 है0, 319 रकवा 0.08 है0, 344 रकवा 1.16 है0 , 345 रकवा 0.96 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 3.67 है0 ग्राम रागसिहपुरा के वर्तमान कब्जे अनुसार 1/2 हिस्से के उपयोग उपभोग मे सायलान को बाधा उत्पन्न नही करे न अन्य से करावे तथा भूमि अन्य दीगर व्यक्ति को हस्तान्तरित नही करे ना ही लोन उठावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से सायल/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षो का ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/गैर सायल संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ख0न0 239 रकबा 0.10 है0 , 240 रकबा 0.24 है0, 241 रकबा 0.15 है0 , 242 रकबा 0.12 है0, 316 रकबा 0.86 है0, 319 रकबा 0.08 है0, 344 रकबा 1.16 है0 , 345 रकबा 0.96 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 3.67 है0 वाके ग्राम रामसिहपुरा तहसील गंगापुर सिटी मे स्थित है। उक्त भूमि अप्रार्थी/अपीलांट को 1975 मे आवंटित हुई थी। तभी से अपीलार्थी उक्त भूमि को जोतता व बोता हुआ एवं बहैसियत मालिक उसका उपयोग उपभोग निरन्तर करता चला आ रहा है। उक्त भूमि से प्रार्थीगण/रेस्पो0 का कोई वास्ता ताल्लुक नही है। उक्त भूमि का अपीलांट एक मात्र खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा अपने आप को जमीन के 1/2 हिस्से का तथाकथित रूप से अपना होना बताते हुए दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया। प्रकरण धारा 145 सीआरपीसी उनवीन श्रीनारायण बनाम भौरया वगै0 मुकदमा न0 11/93 चला जिसमे प्रार्थीगण/रेस्पो0 के द्वारा अप्रार्थी/अपीलार्थी पर दबाब भय व धमकी देकर बिना स्वतंत्र सहमति के राजीनामा करवा लिया गया। जिस पर प्रार्थी/रेस्पो0 के आक्षेपित प्रकरण प्रस्तुत किया। जिसका जबाब अप्रार्थी/अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त राजीनामे से अप्रार्थी/अपीलार्थी पाबन्द नही है एवं राजीनामा विधि के प्रावधानो के विपरीत होने के कारण अमान्य है। किन्तु विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी/अपीलार्थी के जबाब पर ध्यान न देकर गलत आदेश पारित कर विधि व तथ्यो से परे जाकर जो आदेश किया है वह निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ प्रथम दृष्टया केस,सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति पर पृथक पृथक विचारण नही करके विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो के विपरीत जाकर उन सभी पर एक साथ विचार किया गया है इस आधार पर आक्षेपित आदेश अपास्त योग्य है। उक्त भूमि अप्रार्थी/अपीलांट की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि है जो आवंटित हुई है। अधिनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Bairwa
Date: 2025.10.10 13:40:12 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

न्यायालय द्वारा खातेदार को पावन्द कर कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे जिस राजीनामे का हवाला दिया है वह राजीनामा अपीलार्थी पर लागू नही होता है क्योकि उक्त राजीनामा स्वतंत्र सहमति के आधार पर नही है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जाकर रेस्पो0 को पावन्द किया जावे कि अपीलार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग व कृषि आदि कार्य करने मे किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं पैदा करे न ही अन्य किसी से करावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने दौराने वहस कथन किया कि भूमि ख0न0 239 रकवा 0.10 है0, 240 रकबा 0.24 है0, 241 रकवा 0.15 है0, 242 रकबा 0.12 है0, 316 रकंबा 0.86 है0, 319 रकबा 0.08 है0, 344 रकबा 1.16 है0, 345 रकबा 0.96 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 3.67 है0 रेस्पो/सायलान व अपीलांट /गेरसायल संख्या 1 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। इस भूमि मे रेस्पो/सायलान का 1/2 हिस्सा तथा अपीलांट/गेरसायल संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है। उपरोक्त भूमि के साबिक ख0न0 141 रकवा 2 बीघा 18 विस्वा, 142 रकवा 8 विस्वा, 156 रकबा 7 बीघा 15 विस्वा, 152/169 रकबा 4 बीघा 5 विस्वा था। पहले यह भूमि रेस्पो/सायलान के पिता भौरया तथा अपीलांट/गेरसायल संख्या 1 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है। जिसमे रेस्पो/सायलान के पिता का 1/2 हिस्सा तथा अपीलांट/गेरसायल न0 1 का 1/2 हिस्सा था। उक्त वादग्रस्त आराजीयात के बावत गैरसायल संख्या 1 श्रीनारायण एवं भौरया के मध्य 145 सीआरपीसी के तहत मुकदमा न0 11/93 चला था। जिसमे दिनांक 7.6.94 को पक्षकारो के मध्य राजीनामा इस आशय का तस्दीक किया गया कि उपरोक्त भूमि रेस्पो/सायल व अपीलांट/गेरसायल की आधी आधी रहेगी। रिसीवर के पास जमा राशि भी दोनो पक्षो को आधी आधी रहेगी। कब्जे के बारे मे इसी प्रकार आधी आधी भूमि होने की घोषणा की जावे। इस राजीनामे के अनुसार उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा दिनांक 17.7.96 को निर्णय पारित कर उक्त भूमि को रिसीवरी से वागुजास्त कर दिया और इस तरह से कब्जा उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात पर आधा आधा रहा। दिनांक 7.6.94 को हुए राजीनामे वाद किसी प्रकार का विवाद पक्षकारान के बीच नही हुआ है। रेस्पो/सायलान कानून के जानकार नही होने से कारण राजीनामे के आधार पर 1/2 भूमि का खातेदार घोषित कराने की कार्यवाही नही की गई। इस कारण राजस्व रिकार्ड मे रेस्पो/सायलान का नाम उक्त भूमि मे 1/2 हिस्से मे खातेदार के रूप मे अंकित नही हो सका। और अकेले अपीलांट/गैरसायल सख्या 1 का नाम ही रहा इस स्थिति का अनुचित लाभ उठाते हुए एवं भूमि के बढते हुए दामो को देखकर अपीलांट द्वारा अनुचित रूप से भूमि को बैंक के रहन रख दी गई। जब रेस्पो0 को इस बात का पता चला तो अपीलांट से कहने पर अपीलांट द्वारा रेस्पो0 को भूमि से बेदखल करने व अन्य दीगर व्यक्ति को बेचान करने की धमकी दी गई। यह वाद कारण उत्पन्न होने पर अधिनस्थ न्यायालय मे दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया। विवादित आराजीयात के बाबत दावा अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है जिसमे अधिकार तय किये जावेगे। उभयपक्ष के मध्य वाद वाहुलता नही हो इस विधिक सिद्वान्त के अनुरूप ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात के

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:40:12 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

बाबत उभयपक्षकारान को ताफैसला दावा रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम रखी जाने के आदेश पारित किये गये है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिक आदेश है जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात ख0न0 239 रकबा 0.10 है0 , 240 रकबा 0.24 है0, 241 रकबा 0.15 है0 , 242 रकबा 0.12 है0, 316 रकबा 0.86 है0, 319 रकबा 0.08 है0, 344 रकबा 1.16 है0 , 345 रकबा 0.96 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 3.67 है0 ग्राम रामसिहपुरा तहसील गंगापुर सिटी में स्थित है। जो मुताबिक जमाबदी राजस्व रिकार्ड अनुसार श्रीनारायण पुत्र भूरया जाति खारवाल सा0देह गैरखातेदार के नाम दर्ज है। पत्रावली मे उपलब्ध इकरारनामा के अनुसार सायल श्रीनारायण एवं अन्य पक्षकारो के मध्य यह समझौता हुआ कि विवादित भूमि मे से आधी भूमि श्रीनारायण एवं आधी भूमि धर्म सिह पुत्र भोरया की रहेगी एवं रिसीवरी की राशि मे भी आधा आधा हिस्सा रहेगा। भूमि की खातेदारी सायल के नाम होते ही रजिस्ट्री करवा देगा। इस राजीनामे के आधार पर ही उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी के यहॉ विचाराधीन मु0न0 11/93 धारा 145 सीआरपीसी को दिनांक 17.7.96 को निर्णित किया गया एवं माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश गंगापुर सिटी द्वारा भी दिनांक 16.7.98 को रिसीवरी की जमाशुदा राशि को पक्षकारान को आधी आधी देय होगी। विवादित आराजीयात के बाबत वाद पत्र अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है। विवादित भूमि के संबंध मे किये गये इकरारनामे/राजीनामा से गैरसायलान के खातेदारी अधिकार उदभूत होते है या नही, यह दावे मे तय किया जावेगा। विवादित आराजीयात मे अपीलांट/सायल एवं रेस्पो/गेरसायलान के निहित हित प्रभावित नही हो एवं पक्षकारो के मध्य वाद की वाहुलता नही हो इस स्थिति के मद्देनजर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान को विवादित भूमि के मौके एवं रिकार्ड की ताफैसला दावा यथास्थिति बनाये रखने के आदेश विधि अनुरूप ही पारित किये है। जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी के मुकदमा न0 46/14 निर्णय दिनांक 14.2.18 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2025 को लिखाया जाकर दूसरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:40:12 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर